

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

सा. का. नि...()अ.- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 60/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 जिसे सा. का. नि 1075 (अ), 30 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में – पृष्ठ 4 में, पंक्ति 27 में, “प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत” के स्थान पर “प्रभाव का उपक्रम प्रस्तुत” पढ़े।

[फा.सं. सीबीईसी/20/06/17/2018-जीएसटी]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार